

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/2707/

जबलपुर, दिनांक 04/07/2024

श्रीमती अर्पणा त्रिपाठी, P.A., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 के अवकाश नियम 38-ग संतान पालन अवकाश के कंडिका 1 से 7 तक के आलोक में स्वीकृत प्रसूति अवकाश दिनांक 29.11.2023 से 26.05.2024 तक 180 दिन के निरन्तर में दिनांक 27.05.2024 से 31.12.2024 तक 219 दिन का संतान पालन अवकाश किया गया।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही/-
(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/2708/

जबलपुर, दिनांक 04/07/2024

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती अर्पणा त्रिपाठी, P.A., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Ashish
2.7.24
(आशाष तिवारी)
डिप्टी रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस.